



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III— खण्ड 4

PART III— Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936

No. 107]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(प्रधान कार्यालय, अजमेर)

अधिसूचना

अजमेर, 10 सितम्बर, 2013

सं एच ओ/2013-14/एच आर एम/12858.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल बैंक ऑफ बड़ौदा जोकि प्रायोजक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमावलियों को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियमावली कहा जाएगा) के विनियम 2 में खंड (छ) के लिए उप-विनियम (1) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से तात्पर्य है :

(i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष

(ii) स्केल-I और II के संबंध में महाप्रबंधक; और

(iii) समूह ‘ख’ कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजन) और समूह ‘ग’ कार्यालय परिचारक (बहुप्रयोजन) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो।

3. उक्त विनियमावली के लिए विनियम 50 में खंड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

(i) निदेशक मण्डल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है; और

(iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप विनियम (1) के खंड (छ) के उप-खंड (iii) के अंतर्गत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है।

डॉ. एम. एस. फोगाट, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./23-डी/13]

पाद टिप्पणी : दिनांक 6 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 27 के तहत प्रकाशित प्रधान विनियमावली।

**BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA
GRAMINBANK**

(HEAD OFFICE, AJMER)

NOTIFICATION

Ajmer, the 10th September, 2013

No. HO/2013-14/HRM/12858.—In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, after consultation with Bank of Baroda being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to, amend the Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employes) Service Regulations, 2010, namely :—

1. (1) These regulations may be called Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Service (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Officer and Employes) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-clause (1) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

(g) “Competent Authority” means :—

- (i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;
- (ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and
- (iii) an officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group ‘B’ Office Assistant (Multipurpose) and Group ‘C’ Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board”;

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

- “(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;
- (ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and
- (iii) the General Manager, where Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2”.

Dr. M. S. PHOGAT, Chairman

[ADVT. III/4/Exty. 23-D/13]

Foot Note : The principal Regulations published *vide* Notification No. 27 dated 6th July, 2013.